भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2536
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत टैंकों का निर्माण

2536. श्री अमरा राम:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत पेयजल हेतु टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए लाभार्थी अपना अंशदान जमा कर रहा है और कार्य ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य लाभार्थी को सौंपा जा सकता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास निर्माण की तर्ज पर टैंकों का निर्माण लाभार्थी को ही सौंपा जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): जहाँ तक महात्मा गांधी नरेगा योजना का संबंध है पैरा 5 में निर्दिष्ट परिवारों की भूमि की उत्पादकता में सुधार हेतु भूमि विकास के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुदे हुए कुओं, खेत तालाबों तथा अन्य जल-संग्रहण संरचनाओं का निर्माण अनुमेय कार्यकलाप हैं।

लाभार्थियों का चयन महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:-

पैरा 5: व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन करने वाले कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों की स्वामित्व वाली भूमि या वास भूमि पर प्राथमिकता दी जाएगी:

(क) अनुसूचित जातियाँ

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ

(ग) घुमंतू जनजातियाँ

(घ) विमुक्त जनजातियाँ

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार

(च) महिला-मुखिया परिवार

(छ) दिव्यांग- मुखिया परिवार

(ज) भूमि सुधार के लाभार्थी

(झ) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी

(ञ) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थी और

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को समाहित करने के पश्चात, कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु अथवा छोटे किसानों की भूमि पर भी ऐसे कार्य किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो तथा परिवार का कम से कम एक सदस्य अपनी भूमि अथवा वास भूमि पर किए जा रहे कार्य में काम करने के लिए इच्छुक हो।

इन प्रावधानों के अनुरूप, राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की भूमि पर *टेन्का* नामक जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य व्यक्तियों हेतु खेत तालाब का निर्माण" नाम से किए जा रहे हैं।

राजस्थान राज्य में योजना की शुरुआत से अब तक (दिनांक 11 दिसंबर 2025 तक) किए गए खेत तालाब कार्यों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2536 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राजस्थान राज्य में योजना के प्रारंभ से किए गए फार्म पॉन्ड कार्यों का जिला-वार विवरण (11 दिसंबर 2025 तक)			
क्र. सं. .	जिला	पूर्ण	जारी
1	अजमेर	892	3
2	अलवर	777	12
3	बांसवाड़ा	1,735	433
4	बारां	2,481	4
5	बाड़मेर	2,11,417	75,362
6	भरतपुर	214	-
7	भीलवाड़ा	8,241	132
8	बीकानेर	12,703	6,439
9	बूंदी	993	2
10	चित्तौड़गढ़	1,233	3
11	चुरू	21,970	9,466
12	दौसा	780	6
13	धौलपुर	317	62
14	डूंगरपुर	8,367	159
15	हनुमानगढ़	2,252	359
16	जयपुर	1,084	19
17	जैसलमेर	9,225	1,859
18	जालौर	4,266	1,941
19	झालावाड़	2,500	13
20	झुंझुनूं	2,068	265
21	जोधपुर	19,886	15,573
22	करौली	635	6
23	कोटा	672	5
24	नागौर	27,183	4,832
25	पाली	3,222	278
26	प्रतापगढ़	208	55
27	राजसमंद	470	12
28	सवाई माधोपुर	9,843	975
29	सीकर	1,841	461
30	सिरोही	636	10
31	श्रीगंगानगर	1,749	1,496
32	टोंक	706	576
33	उदयपुर	8,433	65
	कुल	**3,68,999**	**1,20,883**